न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /06/2025

अमर सिंह पुत्र श्री महाराजसिंह जाति जाट निवासी कस्वा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

किरनदेई पत्नी श्री भूदर जाति जाट निवासी नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

...........रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश नामान्तकरण संख्या 25629 दिनांक 13.01.2025 तहसीलदार नदबई ।

उपस्थितः–

1–श्री सोनीराम शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय **दिनांक 24.04.2026**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ नामा0 सं0 2562 दिनांक 13.01.2025 न्यायालय तहसीलदार नदबई बाबत आराजी खसरा नम्बर 3821/0.41 व 3794/0.09 बाके कस्वा नदबई, न्यायालय हाजा में दिनांक 21.03.2025 को पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं तहत नामान्तकरण रिपोर्ट तलब की गई। रेस्पो. की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। तहसीलदार(भू.अभि.) भरतपुर के भू.अभि./2025/1639 दिनांक 05.05.2025 से नामान्तकरण संख्या 2562 तारीखी 13.01.2025 की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। उपस्थित योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी खसरा नं. 3821/0.41 व 3794/0.09 है. कस्बा नदबई अपीलान्ट के कब्जे एवं खातेदारी की आराजी है। रेस्पो. का इससे कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। रेस्पो. द्वारा उक्त आराजी का एक फर्जी एवं कूटरचित वयनामा दिनांक 03.05.2007 को तैयार करा लिया जिसके आधार पर रेस्पो. विवादित आराजी में जब कब्जा करने की कोशिश करने लगी तो अपीलान्ट द्वारा एक दावा सन 2019 में न्यायालय सिविल न्यायाधीश नदबई में प्रस्तुत किया

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

गया। न्यायालय सिविल न्यायाधीश नदबई द्वारा दिनांक 04.04.2019 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मौके व रिकार्ड की यथा स्थति बनाये रखने हेतु जारी की गई। जो आज तक बदस्तूर है। वकील अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा भी एक दावा अपीलान्ट के विरूद्ध वर्ष 2018 में न्यायालय उपखण्डाधिकारी नदबई में प्रस्तुत किया था। जिसमें तथाकथित वयनामा के आधार पर वह स्वयं को विवादित आराजी पर खातेदार घोषित कराना चाहती थी उक्त दावा दिनांक 23.12.2024 को खारिज हो चुका है। वयनामा दिनांक 03.05.2007 सिविल न्यायालय में विवादित है तथा रिकार्ड की यथा स्थिति बाबत् स्थगन आदेश भी जारी है। स्थगन आदेश दिनांक 04.04.2019 की सूचना तहसीलदार नदबई को दी गई थी। मगर स्थगन आदेश के रहते हुये भी उक्त वयनामा दिनांक 03.05.2007 के आधार पर 18 साल बाद विवादित नामान्तकरण दिनांक 7.1.2025 को पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर तहसीलदार नदबई द्वारा दिनांक 13.01.2025 को स्वीकृत कर दिया गया है जो गलत व खिलाफ कानून है। योग्य अभिभाषक ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 18.03.2025 को हुई, नकल वगे. दिनांक 19.03.2025 को ली जाकर बिना किसी देरी के अपील दिनांक 21.03.2025 को तैयार कर पेश की गई है, नकल लेने की दिनांक से अपील अन्दर म्याद है। देरी को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को के समर्थन में आरआरडी 2001 पेज 53, उद्धरित करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने सही तथ्यों को छिपाकर अपील पेश की है। अपील म्याद बाहर पेश होने से काबिल खारिज के है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को शुरु से ही थी। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि विवादित आराजी में अपीलान्ट का कोई हित निहित नहीं है। अपीलाधीन नामान्तकरण रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर भरा जाकर स्वीकार किया गया है जिसमें तहत न्यायालय ने कोई गलती नहीं की है। अपील गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरित दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध सत्यप्रतिलिपि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2562 तारीखी 13.01.2025 के खिलाफ अपील देरी से पेश की गई है। इस बाबत् प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया।

........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

(A) " Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2562 दिनांक 13.01.2025 कस्वा नदबई का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य रुप से यह तय किया जाना है कि –

क्या अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2562 दिनांक 13.01.2025 को (आराजी खसरा नं. 3821/0.41 व 3794/0.09 है. पर) सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभाव में था....?

पत्रावली में उपलब्ध नकल आदेशिका न्यायालय सिविल न्यायाधीश नदबई मु.नम्बर 28/2019 उनवानी अमरसिंह बनाम किरनदेई का अवलोकन किया गया, उक्त नकल आदेशिका में सिविल न्यायालय ने दिनांक 04.04.2019 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जो इस प्रकार है :–

''......... आदेश किया जाता है कि उभयपक्षकारान ताफैसला दावा मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। ....।''

उक्त विवेचन से स्पष्ट है अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या नामान्तकरण संख्या 2562 दिनांक 13.01.2025 को (आराजी खसरा नं. 3821/0.41 व 3794/0.09 है.) न्यायालय सिविल न्यायाधीश नदबई द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभाव में थी। तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन नामान्तकरण 2562 दिनांक 13.01.2025 कस्वा नदबई स्वीकार किया गया है वह सिविल न्यायालय नदबई द्वारा जारी स्थगन आज्ञा के प्रभाव में रहते हुये जारी किया गया है। हमारी विनम्र राय में अगर सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश के प्रभाव में

.........4

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील /06/2025
अमर सिंह बनाम किरनदेई

रहते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में कोई पारित आज्ञा को रोका नहीं गया, तो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेशों का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। इस प्रकार सक्षम न्यायालय स्थगन आदेश के दौरान अगर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो वह काबिल निरस्त योग्य माना जावेगा। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तकरण 2562 दिनांक 13.01.2025 कस्वा नदबई तहसील नदबई निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर